Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 43–2025] CHANDIGARH, THURSDAY, OCTOBER 23, 2025 (KARTIKA 1, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विरासत तथा पर्यटन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 अक्तूबर, 2025

संख्या 12/250–2024/पुरा/4213–19.–चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों तथा प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों का हरियाणाा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) के अधीन संरक्षण अपेक्षित है;

इसलिए, अब, हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं;

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, के साथ जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विरासत तथा पर्यटन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाए, पर विचार करेगी।

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
महेंद्रगढ किला	महेंद्रगढ किला	महेंद्रगढ	महेंद्रगढ	94//2/2	149 कनाल 2 मरला	प्रांतीय सरकार मकबुजा हरियाणा पर्यटन विभाग	महेंद्रगढ़ किला, जिसे मूल रूप से कानोड किला के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में अवस्थित एक ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। प्रसिद्ध मराठा सेनापति तात्या टोपे द्वारा 1755 ई. में निर्मित, यह किला 18 शताब्दी के मध्य में उत्तर भारत में मराठा प्रभाव के विस्तार का प्रमाण है। 1860 में, ब्रिटिश राज के दौरान, किले और उसके आसपास के क्षेत्र को पटियाला रियासत में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में किसे का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ कर दिया। यह नामकरण किले से आगे बढ़कर कस्बे और प्रशासनिक इकाई, जिसे पहले नारनौल निजाम के नाम से जाना जाता था, तक फैल गया, जिसका नाम बदलकर महेंद्रगढ़ निजाम कर दिया गया। मराठा काल से पहले, ऐसा माना जाता है कि सम्राट बाबर के एक सेवक या अधिकारी मलिक महादूद खान ने मुगल काल के आरंभ में इस क्षेत्र में एक बस्ती स्थापित की थी, जो इस स्थल के प्रारंभिक सामरिक और बस्ती महत्व को दर्शाता है। महेंद्रगढ़ किले की वास्तुकला राजपूत, मुगल और मराठा शैलियों के समृद्ध संश्लेषण को दर्शाती है, जो सदियों से इस क्षेत्र को आकार देने वाले विविध किले सांस्कृतिक की और राजनीतिक प्रभावों को प्रदर्शित करती है। किले की दीवारें मजबूत बलुआ पत्थर और इंट की चिनाई से बनी है। बाहरी दीवारे रक्षात्मक प्रकृति की है, जिनमें कोनों पर गोलाकार और अर्थ अष्टकोणीय दुर्ज है, जो राजपूत और मुगल साथ वास्तुकला दोनों की विशेषता है। ऊंचे प्रहरीदुर्गों के अवशेष एक सुनियोजित रक्षात्मक रणनीति का सुझाव देते हैं, जो आसपास के मैदानों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं। प्रवेश द्वार मुगल शैली में डिजाइन किया गया एक धनुषाकार प्रदेश द्वार है, जिसमे नुकीले उभार और पुष्प रूपांकन है. जो सौंदर्य के साथ–साथ कार्यात्मक विचारों को दर्शाते हैं। सजावटी झरोखे (ओवरहैंगिग बालकनी) कभी–कभी द्वारों के ऊपर पाए जाते हैं एक संभावित दीवान–ए–खास (निजी दर्शक दीर्घा) और दीवान–ए–आम (सार्वजनिक दर्शक दीर्घा) के अवशेषों की पहचान की गई है। किले का सुगठित और कार्यात्मक लेआउट, जिसमें सजावटी अतिरेक की बजाय रणनीतिक स्थिति को प्राथमिकता दी गई है, मराठा सैन्य स्थापत्य दर्शन के अनुरूप है। निर्माण सामग्री स्थानीय रूप से उत्खनित बलुआ पत्थर और ईंटों से बनी थी, जिन्हें चूने के प्लास्टर और गारे के मिश्रण से निर्मित है।

कला रामचंद्रन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विरासत तथा पर्यटन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HERITAGE AND TOURISM DEPARTMENT

Notification

The 16th October, 2025

No. 12/250-/2024/pura/4213-19.— Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that archaeological sites and remains and ancient and historical monument specified in column 1 of the Schedule given below requires protection under the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964(Punjab Act 20 of 1964).

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964), the Governor of Haryana hereby proposes to declare the ancient and historical monument specified in column 1 of the schedule given below to be a protected archaeological sites and remains as specified in columns 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the Schedule to be a protected area.

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government of Haryana, Heritage and Tourism Department, Chandigarh from any person with respect to the proposal before the expiry of the period so specified:-

SCHEDULE

Name of ancient and historical monuments	Name of archaeological sites and remains	Name of village/ city	Name of tehsil / district.	Revenue Khasra/ Kila number under protection.	Area to be protected Kanal-Marla	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Mahendergarh Fort	Mahendergarh Fort	Mahendergarh	Mahendergarh	94/2/2	149 Kanal 2 Marla	Prantiya Sarkar Makbuja Haryana Tourism Department	Mahendergarh Fort, originally known as Kanod Fort, is a site of considerable historical importance located in Haryana. Constructed in 1755 CE by the renowned Maratha commander Tatya Tope, the fort stands as a testament to the expansion of Maratha Influencer into Northern India during the mid 18th Century. In 1860, during the British Raj, the fort and its surrounding region were incorporated into the Patiala state. Subsequently, Maharaja Narendra Singh of Patiala renamed the fort Mahendragarh in honor of his son, Mahendra Singh. This renaming extended beyond the fort to the town itself and the administrative unit, formally known as Narnaul Nizam, which was also renamed Mahendragarh Nizam. Prior to the Maratha period, it is believed that Malik Mahadud Khan, a servant or officer of Emperor Babur, had established a settlement in the area during the early Mughal period, indicating the site's earlier strategic and settlement value. The architecture of Mahendragarh Fort reflects a rich synthesis of Rajput, Mughal, and Maratha styles, showcasing the diverse culture and political influences that shaped the region over centuries. Fortification Walls are constructed with robust sandstone and brick masonary, the outer walls are defensive in nature, featuring circular and semi-octagonal bastions at corners, characteristic of both Rajput and Mughal military architecture. The remnants of elevated watchtowers suggest a well-planned

							defensive strategy, offering commanding views of the surrounding plains. The entrance is an arched gateway designed in Mughal style, with pointed cusps and floral motifs, reflecting asthetic as well as functional considerations. Decorative jharokhas (overhanging balconies) are occasionally found above the gates—an element rooted in the Rajput design tradition. Rooms and corridors are arranged around open courtyards, a design seen in both Mughal and Rajput palatial structures. Some interiors include barral vaults, arched niches and lime-plastered rooms. Remains of a possible Diwan-e- Khas (private audience hall) and Diwan-e-Aam(public audience area) have been identified. The fort's compact and functional layout, prioritizing strategic positioning over ornamental excess, aligns with Maratha military architectural philosophy. Construction Material were locally quarried sandstone and brick, bound with lime plaster and mortar.

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Heritage and Tourism Department.

12157—C.S.—H.G.P., Pkl.